न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 06/2019
दायर दिनांक :– 22–02–2019
निर्णय दिनांक :– 14–05–2019

अनवान

श्री धुला पिता नोला जी जाति बागरिया निवासी मादडा तहसील राजसमंद जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,राजसमंद तहसील राजसमंद जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार, कुंवारिया, प्रकरण संख्या 929/2016 निर्णय दिनांक 29.11.2016

उपस्थित :–

1– श्री ए0एच0चूडीगर, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री कैलाश चन्द्र बोल्या राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम मादडा तहसील राजसमंद की आराजी नम्बर 14/8 एवं 14/9 कुल रकबा 19.01 बीघा भूमि में से 4.15 बीघा भुमि किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण कर थूहर एवं कांटो की बाड लगाये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करते हुये लगान रूपया 3 का 50 गुणा शास्ति रूपये 150/– आरोपित करने का निर्णय दिनांक 29.11.2016 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के

CK

अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नाजायज कब्जा के सम्बन्ध में बेदखली का निर्णय अवैध, विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट को शहादत सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया । अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर 35 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि को कृषि योग्य उपजाउ बनाकर उसकी आय से अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। अपीलाण्ट के विरूद्व की गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। प्रकरण में बिना सुने बिना अवसर दिये की गई कार्यवाही न्यायोचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का यह निर्णय विधि विरूद्व होकर काबिल निरस्त है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व मादडा तहसील राजसमंद की आराजी नम्बर 14/8 एवं 14/9 रकबा 19.01 बीघा भूमि में से 4.15 बीघा भूमि किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण कर थूहर एवं कांटो की बाड लगाकर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। खसरा गिरदावरी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि अतिक्रिमी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि पर केवल थूहर कीबाड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रिमी द्वारा भूमि का काबिल कास्त नहीं बनाया गया है,किया गया अतिक्रमण नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायायल ने जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है । और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम मादडा तहसील राजसमंद की आराजी नम्बर 14/8 एवं 14/9 रकबा 19.01 बीघा भूमि में से 4.15 बीघा भूमि किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण कर थूहर एवं कांटो की बाड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्व बेदखली करने व शास्ति 150/–रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया जो सही प्रतीत होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया हैं । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से मैं सहमत हूँ । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप को उचित नहीं मानता हूँ । अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाता है। अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द